

संशोधित प्रवेश नियम

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय

माल रोड, अल्मोड़ा— 263601 (उत्तराखण्ड)



Soban Singh Jeena University

Mall Road, Almora- 263601 (Uttarakhand)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 पर आधारित



www.ssju.ac.in

स्नातक पाठ्यक्रमों
(बी०ए०, बी०ए०स–सी०, बी०कॉम०)
के लिए प्रवेश नियम व अध्यादेश

2024

प्रवेश नियम
(सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)
(शैक्षणिक सत्र 2022–2023 से प्रभावी)

अध्याय—1

साधारण नियम—

- 1–1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑनलाइन (Online) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य/सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएंगे। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।
- 1–2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जाएगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।
- 1–3 परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर प्रवेश समिति द्वारा अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी अनन्तिम योग्यता सूची तैयार करने के लिए प्रवेश समितियाँ सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय की वैबसाईट से आवेदनकर्ताओं (आवेदन पत्र) का आंकड़ा (Data) Excel Format में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि उपरोक्त डाटा डाउनलोड करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही हो तो इसके लिए परीक्षा नियंत्रक को इमेल के माध्यम से भेजने के लिए सूचित किया जा सकता है। परिसर/महाविद्यालय/संस्थान अनन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे, जिनकी समस्त अर्हताओं तथा Online प्रवेश आवेदन पत्र/फार्मेट में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।
- 1–4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में अपने आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार/आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 1–5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ—पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे।

मोहन सिंह
कुलसंचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

- 1-6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।
- 1-7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित माहाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- (ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- (ग) यदि किसी छात्र के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।
- (घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरुद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरुद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।
- 1-8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/प्राचार्य अथवा स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- 1-9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
- (ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अन्तर्गत “धोखाधड़ी से प्रवेश लेना” माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर/महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

मुख्यमंत्री
कुलसंचय
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

1-10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवेश प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय/संस्थान/संकाय/विभाग में जमान किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1-11 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है :

1— अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2— अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3— अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत
4— आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैधता अवधि से पूर्व का न हो।)

नोट : स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षेत्रिज (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा—

(1) महिलाएँ	30 प्रतिशत
(2) भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
(3) दिव्यांग	05 प्रतिशत
(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी/होगा उसे उसी श्रेणी का क्षेत्रिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता—क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा।) उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीतिगत संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1-12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

- (i) Extension in date of admission upto 30 days.
- (ii) Relaxation in cut-off percentage upto 10% subject to minimum eligibility requirement.
- (iii) Waiving of domicile requirements.


 कुलसंचित
 सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
 अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

1-13	स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा—	
(क)	एन०सी०सी० 'बी' 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
(ख)	(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)—	20 अंक
(ग)	(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन—	20 अंक
(घ)	(घ) जम्मू—कश्मीर में तैनात अद्व—सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी/सगा भाई/बहन तथा जम्मू—कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन	20 अंक
(ङ)	(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	50 अंक
(च)	(च) अन्तर— विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर	40 अंक
(छ)	(छ) शासन द्वारा/खेल फौडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर	30 अंक
(ज)	(ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(झ)	(झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
(ञ)	(ञ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता	25 अंक
(ट)	(ट) जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर	20 अंक
(ठ)	(ठ) अन्तर—महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर	15 अंक

नोट— उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम् 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अहंता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

- 1-14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय/विभाग/संकाय/महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय/विभाग/संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।


 कुलसंचय
 सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
 उल्लोषण संस्कार कार्यालय

5

- (ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर/महाविद्यालय/संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।
- 1-15 सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसरों/महाविद्यालयों संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी०सी०) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं, पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम 45 दिन (पन्द्रह दिन) के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान/संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
- 1-16 एक सत्र में एक ही पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश अनुमन्य होगा, एक से अधिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर एक के अतिरिक्त अन्य सभी प्रवेश निरस्त कर दिये जाएंगे। एक ही विश्वविद्यालय परिसर महाविद्यालय/संस्थान में किसी एक एड-ऑन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक 1-6./2007 (CPP-II) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 (जो कि एक ही सत्र में दो उपाधि या संयुक्त उपाधि के संबंध में है) के अनुपालन में विश्वविद्यालय प्रवेश समिति के निर्णयानुसार एक सत्र में उस निश्चित अवधि की एक ही उपाधि मान्य होगी। यदि किसी अभ्यर्थी की किसी कारणवश एक सत्र में दो उपाधि होती हैं तो अभ्यर्थी द्वारा नियमानुसार उस समय चल रही एक उपाधि,/ सेमेस्टर को निरस्त कराना होगा।
- 1-17 (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष/प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।
- (ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद-विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा वह अभ्यर्थी को मान्य होगा।
- 1-18 अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से सम्बन्धित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के सम्बन्ध में भी लागू होगा।
- 1-19 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रैगिंग संबंधी विनियम, 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र-छात्रा के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण— विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा
कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

अर्हता निर्धारण के नियम

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु
(शैक्षणिक सत्र 2022–2023 से प्रभावी)

अध्याय-2 अर्हता/योग्यता सूची निर्धारण के नियम—

2-1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा इंटरमीडिएट/Senior Secondary (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद्/यूजीओसी० से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उर्तीण छात्र/छात्रायें ही प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(क) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :

(1) कला संकाय हेतु इंटरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(2) विज्ञान संकाय हेतु इंटरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

(45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3) वाणिज्य संकाय हेतु इंटरमीडिएट वाणिज्य विषय में 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण^(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इंटरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)।


यदि दो अभ्यर्थीयों के इंटरमीडिएट के प्राप्तांक/मेरिट अंक, जिन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा कला/विज्ञान अथवा वाणिज्य विषय से उत्तीर्ण की हों, बराबर होते हैं तो वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रवेश में वरीयता दी जायेगी।

(4) दृश्य कला संकाय हेतु इंटरमीडिएट परीक्षा किसी भी विषय के साथ 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।

(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(5) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछ़ड़ा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि कोई छात्र/छात्रा स्नातक स्तर की प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया/गई हो अथवा प्रथम सेमेस्टर के उपरान्त छात्र/छात्रा पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (e.g. स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता/चाहती है तो ऐसे छात्र/छात्रा द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विधिवत आवेदन करना होगा, जिसके उपरान्त ऐसे छात्र/छात्रा को सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नियम 2-1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में


कुलसंघेव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
डॉलोला, उत्तराखण्ड 7

से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं सम्बन्धित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर/महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

- 2-2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिक्षेत्र में स्थानान्तरित होकर आए व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन से वांछित प्रमाण—पत्र प्राप्त कर स्थान उपलब्ध होने पर प्रवेश दिया जाएगा, बशर्ते कि स्थानान्तरण से पूर्व उसके वार्ड का प्रवेश पूर्व स्थान के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में हो चुका हो तथा पूर्व विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से 75 प्रतिशत तक मिलता हो और जिसकी संस्तुति सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा गठित सक्षम समिति द्वारा प्रदान की गयी हो।
- 2-3 शिक्षणेत्तर कार्य—कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।
- 2-4 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन—पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।
- 2-5 स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता—क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

(a) For Bachelor of Science (B.Sc.) :

ग्रुप A एवं B में उपलब्ध मुख्य विषय (Major Subject) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय - III (Major Subject- III) का चुनाव ग्रुप - C के विषयों से कर सकेगा।

<u>Mathematics Groups :</u>		
<u>Group A</u>	<u>Group B</u>	<u>Group C</u>
Mathematics	Physics	Chemistry Statistics Computer Science Information Technology Geology Military Science


 कुलसाधिकार
 सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
 उत्तराखण्ड

Biology Groups:

Group A	Group B	Group C
Botany	Zoology	Chemistry Forestry Information Technology Geology Milatery Science

(b) For Bachelor of Arts (B.A.) :

अभ्यर्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subject) का चुनाव निम्नलिखित में से दो प्रथक—प्रथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय - III (Major Subject- III) को निम्नलिखित समूहों से चुनेगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अलग—अलग समूहों से ही चुने जा सकेंगे।

A	B	C	D	E	F
ENGLISH LITERATURE	DRAWING AND PAINTING	GEOGRAPHY	EDUCATION	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE
KUMAUNI BHASA	ECONOMICS	HISTORY	SOCIOLOGY		
	HOME SCIENCE				
SANSKRIT LITERATURE	PHYSICAL EDUCATION	YOGA			
		MUSIC			
	PSYCHOLOGY	MILATERY SCIENCE			
	ANTHROPOLOGY				

(c) For Bachelor of Commerce (B.Com.) :

ग्रुप A एवं B में उपलब्ध मुख्य विषय (Major Subject) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं।

अभ्यर्थी तीसरे मुख्य विषय - III (Major Subject- III) का चुनाव ग्रुप - C के विषयों से कर सकेगा।

Group A	Group B	Group C
Financial Accounting	Business Regulatory Framework	Business Organistion Management
		Business Communication


 कुलसंचिच
 सोनू सिंह जैसवाल
 अलोदा, उत्तराखण्ड 9

(d) For Bachelor of Fine Arts (B.F.A) :

ग्रुप A एवं B में उपलब्ध मुख्य विषय (Major Subject) सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य हैं। अभ्यर्थी मुख्य विषय - III (Major Subject- III) का चुनाव ग्रुप - C के विषयों से कर सकेगा।

Group A	Group B	Group C
Fundamental of Visual Arts	Drawing	(a)- Design
		(b)- Indian Folk and Tribal Art

वैधानिक नियन्त्रण— विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुसर परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
उत्तराखण्ड

प्रारूप (क)
छात्र द्वारा शपथ—पत्र

1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूँगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लूँगा/लूँगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश तथा समय—समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूँगा/करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।
2. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिए गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा।
3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया गया है।
4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरुद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।
6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय को पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर—


प्रति हस्ताक्षरित
 (सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान के शिक्षक द्वारा)

प्रारूप (ख)
पिता अथवा अभिभावक की घोषणा

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री/कु0/श्रीमती जो मेरे संरक्षण में
रहेंगे/रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र/छात्रा के रूप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं आचरण
उचित रखेंगे/रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते/रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में
विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा
तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा।

हस्ताक्षर— पिता/अभिभावक

12


कुलदीप
लोहन सिंह जीव विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश २४६

अध्यादेश (ORDINANCE)

बी०ए०/बी०एस—सी०/बी० कॉम०/बी०एफ०ए० पाठ्यक्रम हेतु
(शैक्षणिक सत्र 2022–2023 से प्रभावी)

1. परिभाषा—

1.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)—

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री यथा— बी०ए०, बी०एस०—सी० एवं बी०कॉम० (तीन वर्षीय) एवं बी०एफ०ए० (चार वर्षीय)।

1.2 संकाय (Faculty)—

1.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय एवं दृश्यकला संकाय इत्यादि।

1.3 विषय (Subject)—

1.3.1 संस्कृत, हिंदी, जन्मु विज्ञान, इतिहास आदि।

1.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

1.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)

1.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

1.4.2 थ्योरी और प्रैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग—अलग होगा।

2. मुख्य (Major) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

(Annexure – 1)

- 2.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य, आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के तीन मुख्य विषयों (Three Major Subjects) का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।
- 2.2 विद्यार्थी को प्रवेश के समय दृश्य कला संकाय का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के तीन मुख्य विषयों (Three Major Subjects) का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (On Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह चार वर्ष (प्रथम से आठवें सेमेस्टर) तक कर सकता है।



कुलसंघ
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

- 2.3 बी०ए०, बी०एस०—सी० एवं बी० काम० में चौथा माइनर इलेक्टिव विषय (Fourth Minor Elective Subject) विद्यार्थी को अपने संकाय को छोड़कर किसी भी अन्य संकाय (Other Faculty) से लेना होगा और इसके लिए किसी भी Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।
- 2.4 चौथा माइनर इलेक्टिव विषय/कोर्स (Fourth Minor Elective Subject) किसी भी विषय में 04 क्रेडिट का होगा।
- 2.5 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों/संस्थानों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर माईनर इलेक्टिव विषय (Minor Elective Subject) में परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के उपरान्त ही विषय में परिवर्तन कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- 2.6 बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिए बी०ए०, बी०एस०—सी० एवं बी० काम० स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय (Minor Elective Subject) सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
- 2.7 माइनर इलेक्टिव विषय (Minor Elective Subject) का चयन विद्यार्थी द्वारा मुख्य विषय (Major Subject) के अतिरिक्त अथवा अन्य संकाय से करना अनिवार्य होगा।
- 2.8 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर विषय/पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय को आवंटित कर सकता है।
- 2.9 विद्यार्थी को परिसर/महाविद्यालय में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव सम सेमेस्टर (द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर) में करना होगा।
- 2.10 माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए माइनर विषय/पेपर कि कक्षायें सम्बन्धित फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जायेगी।
- 2.11 विद्यार्थी अपना चतुर्थ पेपर माइनर इलेक्टिव (Minor Elective) भारत सरकार/यू०जी०सी०/उत्तराखण्ड शासन इत्यादि से मान्यता प्राप्त ऑनलाईन प्लेटफार्म में समान क्रेडिट के पाठ्यक्रमों के माध्यम से भी पूर्ण कर सकते हैं।
- 2.12 मान्यता प्राप्त ऑनलाईन पाठ्यक्रम (Open Online Course)
-

2.12.1 The University Grants Commission (Credit Framework for Online Learning Courses through Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) Regulations, 2021 have been notified in the Gazette of India, which now facilitates an institution to allow up to 40 percent of the total courses being offered in a particular programme in a semester through the online learning courses offered through the SWAYAM platform. Universities with approval of the competent authority may adopt SWAYAM Courses for the benefit of the students. A student will have the option to earn credit by completing quality - assured MOOC programmes offered on the



SWAYAM portal or any other online educational platform approved by the UGC/regulatory body from time to time.

- 2.12.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों के स्थान पर भारत सरकार/यूजी0सी0/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म (SWAYAM/MOOCs इत्यादि) के माध्यम से भी समान क्रेडिट के विषयों का चयन करने हेतु स्वतन्त्र होगा। ऐसे विषयों का चयन भारत सरकार/यूजी0सी0/उत्तराखण्ड शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्गत होने वाले दिशा—निर्देशों के अन्तर्गत ही मान्य होगा तथा सम्बन्धित विभागों को ऐसे ओपन ऑनलाईन प्लेटफार्म से चयनित किये जाने वाले विषयों को अपने सम्बन्धित पाठ्यक्रम समिति (Board of Studies) इत्यादि से अनुमोदित कराया जाना अनिवार्य होगा।

3. कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill Development Courses)

(Annexure-1)

स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स के प्रत्येक सेमेस्टर) में 3 क्रेडिट का एक—एक कौशल विकास कोर्स ($3 \times 4 = 12$) क्रेडिट के चार पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा।

4. सह—पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course)

(Annexure-1)

- 4.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छ: सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह—पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) करना अनिवार्य होगा।
- 4.2 विद्यार्थी को हर सह—पाठ्यक्रम (Co-Curricular Course) को 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

5. शोध परियोजना (Research Project)

(Annexure-1)

- 5.1 बी0ए0, बी0एस0—सी0 एवं बी0काम0 स्तर पर विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना करनी होगी।
- 5.2 बी0एफ0ए0 स्तर पर विद्यार्थी को चौथे वर्ष में लघु शोध परियोजना करनी होगी।
- 5.3 बी0ए0, बी0एस0—सी0 एवं बी0 काम0 स्तर पर विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से सम्बन्धित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना

(Interdisciplinary) भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग/इंटर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

- 5.4 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को—सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकि संस्थान/शोध संस्थान से भी लिया जा सकता है।
- 5.5 बी०ए०, बी०एस०—सी० एवं बी० काम० स्तर पर विद्यार्थी तीसरे वर्ष के अंत में (छठे सेमेस्टर के अंत में) दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report /Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर/आन्तरिक परीक्षक एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।
- 5.6 बी०एफ०ए०, स्तर पर विद्यार्थी चौथे वर्ष के अंत में (आठवें सेमेस्टर के अंत में) दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report /Dissertation) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाईजर/आन्तरिक परीक्षक एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।
- 5.7 स्नातक स्तर के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी०जी०पी०ए० की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

6. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

(Annexure-1)

- 6.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।
- 6.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा।
- 6.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय “ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट” के माध्यम से किये जाएंगे, जिसके दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।
- 6.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है।
एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उस पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में रि-क्रेडिट (re-credit) अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।



कुलसंगठन
सोबन सिंह जीवा नियन्त्रित
अल्मोहारा द्वारा दिया गया

- 6.5 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- 6.6 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों (Three Major Subject) के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।
- 6.7 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात् 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.E.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनके स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरेक्वजिट् (Prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।
- 6.8 यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट रि-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि-क्रेडिट (re-credit) किए गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

7. स्नातक पाठ्यक्रम में ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक पाठ्यक्रमों में यूजीसी के दिशा निर्देशों पर आधारित निम्नलिखित 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

लेटर ग्रेड	विवरण	प्रतिशत अंकों की सीमा	ग्रेड पॉइंट
O	Outstanding	91-100	9.1- 10
A+	Excellent	81-90	8.1- 9.0
A	Very Good	71-80	7.1- 8.0
B+	Good	61-70	6.1- 7.0
B	Above Average	51-60	5.1- 6.0
C	Average	41-50	4.1- 5.0
P	Pass	33-40	3.3- 4.0
F	Fail	0-32	0
AB	Absent	Absent	
Q	Qualified		
NQ	Not Qualified		

8. उत्तीर्ण प्रतिशत

- 8.1 Qualifying पेपर्स में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

- 8.2 उपरोक्त तालिका में मुख्य एवं माइनर विषयों का प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) Credit course हैं तथा इन सभी का उत्तीर्ण प्रतिशत अब तक प्रचलित 33 प्रतिशत ही होगा।
- 8.3 छ: सह-पाठ्यक्रम कोर्स (co-curricular courses) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor Project Qualifying) हैं तथा इनके उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होंगे।
- 8.4 सभी विषयों में मुख्य/माइनर/सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (वाहय) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।
- 8.5 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाहय परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।
- 8.6 सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से 30 अंक (75 का 40 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं वाहय परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।
- 8.7 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्यांकन में शून्य अंक व वाहय परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह-पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेंगे।
- 8.8 किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace Marks) नहीं दिये जायेंगे।

9. कक्षान्वोति (Promotion)

- 9.1 विद्यार्थी को वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) से अगले सम सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।
- 9.2 वर्तमान सम सेमेस्टर (Even Semester) से अगले विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अर्थात् वर्तमान वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी :
- विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (Required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर्स (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा पूर्व वर्ष (वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त) के लिये आवश्यक (Required) सभी (मुख्य/माइनर/स्किल इत्यादि) पेपर्स तथा Qualifying Papers (सह-पाठ्यक्रम) के क्रेडिट्स उत्तीर्ण कर लिये हों।
- 9.3 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जायेंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

10. बैक पेपर परीक्षा

- 10.1 आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर परीक्षा नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।
- 10.2 विद्यार्थी को बैक पेपर की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर्स के पेपर्स के लिए सम (विषम) सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।
- 10.3 विद्यार्थी को बैक पेपर हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर, जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।
- 10.4 विद्यार्थी बैक पेपर हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (वाह्य) परीक्षा कालबाधित ना होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किन्तु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर्स के लिए ही उपलब्ध होगी।

11. काल अवधि

किसी भी एक वर्ष पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

व्याख्या (Explanation) : यदि विद्यार्थी सत्राता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

12. SGPA एवं CGPA की गणना –

- 12.1 SGPA एवं CGPA की गणना निम्नवत् सूत्रों से की जायेगी :

jth semester के लिए – $SGPA (Sj) = \sum(Ci \times Gi) / \sum Ci$	यहाँ पर – $Ci = \text{number of credits of the } i\text{th course in } j\text{th semester}$ $Gi = \text{grade point scored by the student in the } i\text{th course in } j\text{th semester}$
$GPA = \sum(Cj \times Sj) / \sum Cj$	यहाँ पर – $Sj = SGPA \text{ of the } j\text{th semester}$ $Cj = \text{total number of credits in the } j\text{th semester}$

- 12.2 CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

$$\text{समतुल्य प्रतिशत} = \text{CGPA} \times 10$$

उदाहरणार्थ SGPA एवं CGPA का आगणन निम्नवत् किया जायेगा :

CALCULATION OF SGPA

Subject	Course	Course Type	Credits of Paper	Internal Assessment	External Assessment	Total Max Marks-100	Grade	Grade Points	Grade Value**
				Max marks-25	Max Marks-75				
Physics	Course1 (Th)	Major	4	12	46	58	B	5.8	23.2
	Course 2 (Pr)	Major	2	22	70	92	O	9.2	18.4
Chemistry	Course1 (Th)	Major	4	24	65	89	A+	8.9	35.6
	Course 2 (Pr)	Major	2	23	66	89	A+	8.9	17.8
Economics	Course1 (Th)	Major	6	16	61	77	A	7.7	46.2
History	Course1 (Th)	Major	4	21	60	81	A+	8.1	32.4
Personality Development	Co-Curricular Courses	Co-Curricular Courses	Qualifying	19	45	64	Q		
	Total		22						173.6
				Theory Evaluation Max Marks-40	Training Evaluation Max Marks-60				
Cyber Security	Vocational Course	Skill	3	20	67	87	A+	8.7	26.1
	Grand Total		25						199.7

** Grade Value = Grade Point x Credit

The Semester Grade Point Average (SGPA) = Total Grade Value / Total Credits =
 $199.7 / 25 = 7.98$ (In a semester)

Note : Take only two digits after decimal shall be considered in all the calculations.

CALCULATION OF CGPA

SEMESTER 1	SEMESTER 2	SEMESTER 3	SEMESTER 4
CREDIT : 25	CREDIT : 21	CREDIT : 25	CREDIT : 21
SGPA : 8.36	SGPA : 6.08	SGPA : 8.90	SGPA : 7.22

The Cumulative Grade Point Average (CGPA) = Total Grade value / Total Credits

(In all the semester till now)

Thus, CGPA = $(25 \times 8.36 + 21 \times 6.08 + 25 \times 8.90 + 21 \times 7.22) / 92 = 7.73$

Hence, equivalent percentage = $7.73 \times 10 = 77.30$

And the Division will be First

12.3 विद्यार्थीयों को निम्नवत् सारणी के अनुसार श्रेणी (Division) प्रदान की जायेगी :

श्रेणी	वर्गीकरण
प्रथम श्रेणी	6.00 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा उससे कम CGPA
द्वितीय श्रेणी	4.5 अथवा उससे अधिक तथा 6.00 से कम CGPA
तृतीय श्रेणी	3.3 अथवा उससे अधिक 4.5 से कम CGPA

13. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

- 13.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
- 13.2 परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 13.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

14. व्याख्या खंड/वैधानिक नियन्त्रण

इस अध्यादेश के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली व्याख्या के किसी भी मुद्रे के मामले में या किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के मामले में, सर्वोच्च प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।


कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा



कुलसचिव
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड

ANNEXURE 1 स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

Year	Sem	Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial training/ Survey/ Research Project	(Minimum Credits)	(Cumulative Minimum Credits)
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
Year	Sem	Own Faculty	Own Faculty	Own /Other Faculty	Other Subject/ Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-Curricular Course (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	for the year	Required for Award of Certificate /Diploma/ Degree
1	I	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1(4/5/6)	1	1		46	(46) Certificate in Faculty
	II	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1(4/5/6)	1	1		46	(92) Diploma in Faculty
	IV	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1 (6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2 (5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2 (5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)			1	1		40	(132) Bachelor in Faculty
	VI	Th-2 (5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2 (5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)			1	1			
4	VII	Th-4 (5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1		52	(184) Bachelor (Research) In Faculty
	VIII	Th-4 (5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1(4/5/6)		1			
5	IX	Th-4 (5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1		48	(232) Master in Faculty
	X	Th-4 (5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1			
6	XI	2 (6)	1 Research (4) Methodology				1		16	(248) PGDR in Subject Ph.D. in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph.D. Thesis		


 मुख्य सचिव
 सौदत शिंह चौहान डिप्लोमा
 अल्मोड़ा जिल्हा

प्रेषक,

सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल / श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय /
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा

निदेशक (उच्च शिक्षा)
उच्च शिक्षा निदेशालय
उत्तराखण्ड।

उच्च शिक्षा अनुभाग-1 (समर्थ पोर्टल)

देहरादून, दिनांक: 06 जून, 2024

विषय:-समर्थ पोर्टल के माध्यम से स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पंजीकरण की तिथि
विस्तारण के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयक सूच्य है कि कतिपय कारणों से अद्यावधि प्रवेश प्रक्रिया से वंचित
अभ्यर्थियों के अनुरोध पर सम्यक विचार करते हुए समर्थ पोर्टल पर प्रवेश हेतु पंजीकरण के लिए
दिनांक 06 से 14 जून 2024 (रात्रि 12:00 तक) तक पुनः खोला जा रहा है।

2— पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थियों का प्रवेश मेरिट के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्व
की भाँति संचालित रहेगा। द्वितीय पंजीकरण 06 से 14 जून 2024 के आधार पर द्वितीय मेरिट
लिस्ट 15 जून को जारी होगी, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध महाविद्यालय
में मेरिट आधार पर प्रवेश देय होगा।

3— उपरोक्त के सम्बन्ध में उच्च स्तर से प्राप्त निदेश के क्रम में कृपया अपने स्तर पर उक्त
से अवगत होते हुए अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कर यथोचित निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय,
(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या- 530 /XXIV-C-1/2024-12(12)2024 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख निजी सचिव, मा० मंत्री उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ
प्रेषित।
- कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल / श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड
विश्वविद्यालय / सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा।

3. प्राचार्य, समस्त संबद्ध राजकीय महाविद्यालय/अनुदानित महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
4. प्राचार्य, समस्त निजी महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा संबंधित कुलसचिव संबद्धता विश्वविद्यालय।

४
(योमकेश दूबे)
उप सचिव।

MERIT LIST - B.A. IST SEM 2024-25

FORM NUMBER	SUBJECT 1 (MAJOR)	SUBJECT 2 (MAJOR)	SUBJECT 3 (MAJOR ELECT) XI SCALED MARKS	MERIT INDEX	NAME OF THE APPLICANT	CATEGORY	EMAIL	MOBILE	ID PROOF NUMBER	NAME OF FATHER	NAME OF MOTHER	XII STREAM	XII PERCENTAGE
6401151974	SOCIOLOGY	ECONOMICS	HINDI LITERATURE	761.3	712.5 MEGHA RATHOUR	GENERAL	MEGHARATHOURMEGHARATHOUR@GMAIL.COM	8150004500	458317234799	BHUPENDRA SINGH	KHANNA DEVI	ARTS	62.6
6401151975	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	GEOGRAPHY	681.6	681.6 BABITA PANT	GENERAL	bpanthami2@gmail.com	7832097652	3610000008	LALIT SINGH	NEERAJ DEVI	SCIENCE	56.8
6401223063	HISTORY	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	962.4	962.4 KARIMA DHAPOLA	GENERAL	gauravdhapola12@gmail.com	9753155117	309625725300	HARSH SINGH DHAPOLA	GEETA DHAPOLA	ARTS	80.2
6401223137	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	HISTORY	655.2	655.2 HIKAME DHAPOLA	GENERAL	choprahikame2@gmail.com	9520463999	309626575346	MAHAPIAL SINGH DHAPOLA	GODAVARI DHAPOLA	ARTS	54.6
6401223282	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	HISTORY	756	756 TAHIJU PELKHVAL	GENERAL	pithwalvanuji01@gmail.com	720204793	908012354759	THAKUR SINGH	GEETA DEVI	ARTS	63
6401223294	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	HISTORY	715.2	715.2 SAPNA SONRYAL	GENERAL	s07065158@gmail.com	8868816649	396318786440	DARPAN SINGH	DEEPA DEVI	ARTS	53.6
6401223549	ENGLISH LITERATURE	HISTORY	POLITICAL SCIENCE	931.2	931.2 NAVYA	GENERAL	hbhandarinavayav@gmail.com	725192607	214370874786	PRAKASH SINGH	MANJUL DEVI	ARTS	77.6
6401262929	HINDI LITERATURE	HISTORY	POLITICAL SCIENCE	835.2	835.2 REKHA NAGARKOTI	GENERAL	rehananagarkoti@gmail.com	730212810	783702127076	YAYAT SINGH NAGARKOTI	HEMA NAGARKOTI	ARTS	69.6
6401263551	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	HISTORY	722.4	722.4 ORISHA DHAPOLA	GENERAL	dhapoloksha123@gmail.com	8273601193	32144722922	PRADEEP SINGH DHAPOLA	SUNITA DEVI	ARTS	60.2
6401273539	POLITICAL SCIENCE	HINDI LITERATURE	HISTORY	638.4	638.4 ROOPA	SC	aryanroop2006@gmail.com	9253907015	411696387013	DIWAN RAM	NANDI DEVI	ARTS	53.2
6401292775	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	HISTORY	715.2	715.2 THE ORIENTAL INSURANCE COMA	SC	karishma2007@gmail.com	9259063317	500254237520	JAGDISH RAM	DEEPA DEVI	ARTS	59.6
6401329364	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	HISTORY	780	780 HANSI	GENERAL	hansis032007@gmail.com	6359015273	478427328194	FAKIR SINGH	REKHA DEVI	ARTS	65
6401330004	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	HISTORY	645.6	645.6 KAVITA BHATT	GENERAL	k11839743@gmail.com	7217236485	302526381530	ANAND BALBATH	ASHA DEVI	ARTS	53.8
6401330584	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	HISTORY	751.2	751.2 ARTI BHATT	GENERAL	db0695417@gmail.com	8475805323	319856188688	RAMESH CHANDRA	GEETA DEVI	ARTS	62.6
6401299384	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	HISTORY	708	708 JYOTI RAWAL	GENERAL	jyotirawal77@gmail.com	9310315994	354023996702	BALWANT SINGH RAWAL	BHARTI DEVI	ARTS	59
6401300881	HINDI LITERATURE	HISTORY	POLITICAL SCIENCE	878.4	878.4 ANNITA ARYA	SC	ankitaaaryo10@gmail.com	9068532654	411696387013	HARISH KUMAR	SUNITA DEVI	ARTS	73.2
6401316446	HISTORY	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	945.6	945.6 POOJA	SC	sanjaykumar5029@gmail.com	9258800861	38273601193	BACHI RAM ARYA	MADHAVI DEVI	ARTS	78.8
6401323114	HINDI LITERATURE	HISTORY	POLITICAL SCIENCE	818.5	818.5 SHANTI DHAMI	GENERAL	lalitareshbhakun77@gmail.com	9523777007	309626575346	SHANTI SINGH DHAMI	MUNI DEVI	ARTS	69.6
6401323540	ENGLISH LITERATURE	GEOGRAPHY	POLITICAL SCIENCE	729.6	754.6 SAURABH KUMAR	SC	nkitaangarkot072@gmail.com	7372777007	401618804802	BHUWAN RAM	HANSI DEVI	ARTS	60.8
6401326443	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	SOCIOLOGY	705.6	705.6 ROSHANI	SC	kamleshprasad0996@gmail.com	7900533334	81830418145	HARSH LAL	SUNITA DEVI	ARTS	58.8
6401338113	ENGLISH LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	ECONOMICS	775.2	775.2 HAMANI NEGI	GENERAL	negi7041@gmail.com	7017155682	357170035726	DAHAI SINGH	RADHIKA DEVI	ARTS	64.6
640133925	POLITICAL SCIENCE	ECONOMICS	HINDI LITERATURE	916.8	916.8 PAWAN SINGH KARO	GENERAL	PK8504415@gmail.com	8439078758	32406583375	JAGDISH SINGH KARO	DEEPA DEVI	ARTS	76.4
640135501	HINDI LITERATURE	SOCIOLOGY	POLITICAL SCIENCE	919.2	919.2 KUMKUM	SC	sunilbhakuni.10june@gmail.com	8751935314	30200716779	HARISH CHANDRA RAM	MAMTA DEVI	ARTS	76.6
640135537	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	GEOGRAPHY	852	852 HEMA	GENERAL	jhemu7297@gmail.com	9193614202	46487703732	KAILASH CHANDRA	DEEPA DEVI	SCIENCE	71
640137413	ENGLISH LITERATURE	HISTORY	POLITICAL SCIENCE	945.6	945.6 GARIMA	GENERAL	garimasingh127321@gmail.com	843947113	309626575346	SUNDAR SINGH	RANJANA NAGARKOTI	ARTS	78.8
640137646	HINDI LITERATURE	HISTORY	POLITICAL SCIENCE	628.8	628.8 ANSHKA	GENERAL	ac9535000@gmail.com	9068747413	882240994167	DARWAN SINGH	DEVKI DEVI	ARTS	52.4
640137754	ENGLISH LITERATURE	HISTORY	POLITICAL SCIENCE	876	876 NIKITA NAGARKOTI	GENERAL	nkitaangarkot072@gmail.com	6398203106	1144415808	RAJENDRA SINGH	PUSHPA DEVI	ARTS	73
640137907	HINDI LITERATURE	HISTORY	POLITICAL SCIENCE	679.2	679.2 GEETA NAGARKOTI	GENERAL	kalpanagarkot10@gmail.com	7818011315	777191564833	GOKUL SINGH	DEEPA NAGARKOTI	ARTS	56.6
6401380102	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	HISTORY	818.4	818.4 KAREENA	SC	officialcaulkreena101@gmail.com	6395705023	957160035726	RAHESH RAM	DHANI ARYA	ARTS	68.2
6401385113	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	ECONOMICS	921.6	921.6 TANUJA NAGARKOTI	GENERAL	tanujangangarkot1@gmail.com	8191962257	357170035726	CHANCHAL SINGH NAGARKOTI	NIRMALA NAGARKOTI	ARTS	76.8
6401385311	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	HISTORY	880.8	880.8 JYOTI	SC	janmejeha101@gmail.com	8791185566	38273601193	LAXMAN SINGH	SUNITA DEVI	ARTS	73.4
6401386657	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	HISTORY	650.4	650.4 GURUA ARYA	SC	renayuri794@gmail.com	9086863856	900764100645	GANGARAM SINGH	GURIA DEVI	ARTS	64.2
6401400553	SANSKRIT LITERATURE	SOCIOLOGY	HINDI LITERATURE	751.2	751.2 GODAVARI	GENERAL	nakashahri11@gmail.com	7093884646	377199362765	SHRIKRISHNA ARYA	PUSHPA DEVI	ARTS	54.2
6401413132	HINDI LITERATURE	HISTORY	SOCIOLOGY	847.2	847.2 REHU CHAMI	GENERAL	jagannathchami11@gmail.com	9058159335	31515221991996	MUNI SINGH	HIMMATI DEVI	ARTS	62.6
6401415001	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	HISTORY	669.6	669.6 MANISHA	SC	eyamani2021@gmail.com	9184957969	203047155802	PURAN RAM	SHANTI DEVI	ARTS	55.8
640141987	SOCIOLOGY	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	789.6	789.6 PRIYA	SC	priyacharya107@gmail.com	7830844639	905624112503	RAJAN RAM	REKHA DEVI	SCIENCE	65.8
6401421299	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	GEOGRAPHY	928.8	928.8 ISHIKA ARYA	SC	aryancomputer05@gmail.com	8791533001	357170035726	MOHAN RAM	SHOBHA DEVI	SCIENCE	77.4
6401448144	SANSKRIT LITERATURE	SOCIOLOGY	HINDI LITERATURE	919.2	919.2 DIVYA DHAMI	GENERAL	kavita7angarkot@gmail.com	8539760809	986971747526	MAMGAL SINGH DHAMI	MUNNI DEVI	ARTS	76.6
6401450951	HISTORY	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	851.6	851.6 KAVITA BAGARKOTI	GENERAL	KAUTANAGARKOTI@gmail.com	6398803142	847095108173	SANTOSH SINGH NAGARKOTI	BEENA NAGARKOTI	ARTS	71.8
6401450922	HISTORY	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	770.4	770.4 TANUJA PANDEY	GENERAL	tanujapanedy24@gmail.com	8266882193	377199362765	VIPIN CHANDRA PANDEY	MEENA PANDEY	ARTS	64.2
6401455116	GEOGRAPHY	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	794.4	794.4 SONAKSHI	SC	sonakshariy@gmail.com	6395969187	364663228298	NANDAN PRASAD	CHAMPA DEVI	ARTS	66.2
6401455202	HISTORY	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	876	876 POOJA BISHT	GENERAL	poonjabish1754@gmail.com	8864926815	38273601193	PRADEEP SINGH BISHT	DEEPA DEVI	ARTS	73
6401458521	ENGLISH LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	ANTHROPOLOGY	552	552 BABITA BHATT	GENERAL	babita2007@gmail.com	7465020005	817986983727	PRAKASH CHANDRA BHATT	HEMRA BHATT	ARTS	46
640146216	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	ANTHROPOLOGY	876	876 MANSI	SC	mandu2006@gmail.com	9105442831	519547250612	SARDAR JAMAL	KASTURI DEVI	ARTS	73
640146219	SANSKRIT LITERATURE	SOCIOLOGY	HINDI LITERATURE	640.8	640.8 RAHUL RATHOUR	GENERAL	jagannathchami11@gmail.com	708488232	309626575346	MATON RAM	DEVJI DEVI	ARTS	53.4
6401464843	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	HISTORY	500.4	500.4 KAVITA ARYA	SC	920887134179@gmail.com	9039080578	302071300043	BHAWANI RAM	VIMALA DEVI	ARTS	49.2
6401491514	SANSKRIT LITERATURE	HINDI LITERATURE	HISTORY	914.4	914.4 PRIYASHREE PANDEY	GENERAL	ep144581@gmail.com	8470991089	059001607089	HEM CHANDRA PANDEY	MAMTA PANDEY	ARTS	76.2
6401555212	ECONOMICS	GEOGRAPHY	HINDI LITERATURE	785.6	785.6 ROSHANI	SC	rohansriya55@gmail.com	9917364214	911083024072	BACHI RAM	RAMA DEVI	ARTS	63.8
6401554897	HISTORY	POLITICAL SCIENCE	HINDI LITERATURE	794.4	794.4 TANUJA	SC	tanujatangu1623@gmail.com	7818925300	883674281484	GOVIND PRASAD	SARITA DEVI	ARTS	66.2
6401555217	HISTORY	POLITICAL SCIENCE	HINDI LITERATURE	775.2	775.2 GAURAV KUMAR	SC	gauravkohli17@gmail.com	6397335089	377199362765	ANIL KUMAR	VIMALA DEVI	SCIENCE	64.6
6401555422	HINDI LITERATURE	ANTHROPOLOGY	SOCIOLOGY	770.4	770.4 KAVITA RATHOUR	GENERAL	rathourkavita2006@gmail.com	888938699	285700235987	JAGAT SINGH RATHOUR	CHAMPA DEVI	SCIENCE	64.2
640156018	HISTORY	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	765.6	765.6 MAHIMA	SC	mahimayamahimha2@gmail.com	9105442381	309626575346	SARDAR JAMAL	KASTURI DEVI	SCIENCE	63.8
640156762	ENGLISH LITERATURE	ECONOMICS	HISTORY	753.6	753.6 POOJA	GENERAL	babita2006@gmail.com	88635836	350002593245	SUNDER SINGH	BABITA DHAMI	SCIENCE	62.8
640157032	ECONOMICS	HISTORY	HINDI LITERATURE	676.8	676.8 PREETI	SC	aryapreeti644@gmail.com	800638737	309626575346	PREM RAM	JYOTI	ARTS	56.4
6401609911	ENGLISH LITERATURE	HISTORY	POLITICAL SCIENCE	890.4	890.4 BABITA TIWARI	GENERAL	pramodbihu11995@gmail.com	7500716005	791443119203	TARA DATTI TIWARI	DEEPA TIWARI	SCIENCE	74.2
6401619333	HINDI LITERATURE	POLITICAL SCIENCE	GEOGRAPHY	753.6	753.6 KRISHMA	GENERAL	KARISHMAKX936@gmail.com	7668330896	377199362765	NAVEEN RAM	GEETA DEVI	ARTS	62.8
6401622511	GEOGRAPHY	ECONOMICS	EDUCATION	0	0 BABITA JOSHI	GENERAL	joshabihita357@gmail.com	9102315955	816343020937	PRAKASH CHANDRA JOSHI	REKHA DEVI	ARTS	0
640162493	POLITICAL SCIENCE	HISTORY	ENGLISH LITERATURE	660	660 GAYATRI	GENERAL	plyusapande37@gmail.com	7668398913	16198894044	MAHESH CHANDRA	CHANDRA DEVI	SCIENCE	55

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
(नागरेण्ट)

द्वात्र-द्वात्राओं के सूचनार्थ

GOVERNMENT DEGREE COLLEGE KANDA (BAGESHWAR)

MERIT LIST-B.Sc. (MATHS GROUP)

(2024-25)

Date: 05 June 2024

S N	FORM NUMBER	NAME OF THE APPLICANT	GEN DER	NAME OF FATHER	NAME OF MOTHER	CATE GORY	XII SCALED MARKS	MERIT POINTS	MERIT INDEX	XII PASSING YEAR	SUBJECT 1 (MAJOR)	SUBJECT 2 (MAJOR)	SUBJECT 3 (MAJOR ELECTIVE)
1	640117588	YOGESH CHANDRA PANDEY	M	LALIT MOHAN PANDEY	BHAWANA PANDEY	EWS	981.6	20	1001.6	2024	MATHEMATICS	PHYSICS	CHEMISTRY
2	640126762	GAURAV PANT	M	DHIRENDRA KUMAR PANT	TARA PANT	GEN	981.6	0	981.6	2024	MATHEMATICS	PHYSICS	CHEMISTRY
3	640138858	NEHA KANDPAL	F	MANOJ CHANDRA KANDPAL	HEMA KANDPAL	GEN	933.6	0	933.6	2024	MATHEMATICS	PHYSICS	CHEMISTRY
4	640117787	NITIN KANDPAL	M	DEEP CHANDRA KANDPAL	KAVITA KANDPAL	GEN	921.6	0	921.6	2024	MATHEMATICS	PHYSICS	CHEMISTRY
5	640154338	BHUMIKA NAGARKOTI	F	MANOJ SINGH NAGARKOTI	VIMLA NAGARKOTI	GEN	904.8	0	904.8	2024	MATHEMATICS	PHYSICS	CHEMISTRY
6	640136065	RICHA DHAPOLA	F	NARENDRA SINGH DHAPOLA	HEMA DHAPOLA	GEN	852	0	852	2024	MATHEMATICS	PHYSICS	CHEMISTRY
7	640129382	PAYAL	F	GOVIND	GEETA DEVI	SC	828	0	828	2024	MATHEMATICS	PHYSICS	GEOLOGY
8	640151503	SAPNA DHAPOLA	F	PRAKASH SINGH DHAPOLA	MANJU DHAPOLA	GEN	770.4	0	770.4	2024	MATHEMATICS	PHYSICS	CHEMISTRY
9	640160718	AWADHESH	M	BEERBAL SINGH	JASHODA DEVI	GEN	736.8	0	736.8	2023	MATHEMATICS	PHYSICS	CHEMISTRY

Admission committee

1. ✓ 05/06/2024

2. payal

3.

Dr. Prerna Pathak
Principal
Government Degree College
Kanda (Bageshwar)

द्वात्रा-द्वात्राओं के सूचनार्थ



GOVERNMENT DEGREE COLLEGE KANDA (BAGESHWAR)

MERIT LIST-B.Sc. (BIO GROUP)
(2024 - 25)

Date: 05 June 2024

SN	FORM NUMBER	NAME OF THE APPLICANT	GEN DER	NAME OF FATHER	NAME OF MOTHER	CATE GORY	XII SCALED MARKS	MERIT POINTS	MERIT INDEX	XII PASSING YEAR	SUBJECT 1 (MAJOR)	SUBJECT 2 (MAJOR)	SUBJECT 3 (MAJOR ELECTIVE)
1	640158926	VANDANA TIWARI	F	NAVIN CHANDRA TIWARI	KIRTI TIWARI	GEN	1056	0	1056	2024	BOTANY	ZOOLOGY	CHEMISTRY
2	640141248	MAHIMA KANDPAL	F	SANTOSH KANDPAL	HEMA KANDPAL	GEN	945.6	0	945.6	2024	BOTANY	ZOOLOGY	CHEMISTRY
3	640151136	GUNJANKANDPAL	F	HARISH KANDPAL	BEENA KANDPAL	GEN	943.2	0	943.2	2024	BOTANY	ZOOLOGY	CHEMISTRY
4	640124248	RIYA VERMA	F	PAWAN KUMAR VERMA	HEMA VERMA	OBC	902.4	0	902.4	2024	BOTANY	ZOOLOGY	CHEMISTRY
5	640150730	DIYA DHAPOLA	F	KAMAL SINGH DHAPOLA	MEENA DHAPOLA	GEN	854.4	25	879.4	2024	BOTANY	ZOOLOGY	CHEMISTRY
6	640127787	PRIYANKA	F	JAGDISH RAM	GANGA DEVI	SC	866.4	0	866.4	2024	BOTANY	ZOOLOGY	CHEMISTRY
7	640141365	GARIMA DHAMI	F	BALWANT SINGH DHAMI	LEELA DEVI	GEN	849.6	0	849.6	2024	BOTANY	ZOOLOGY	CHEMISTRY
8	640131545	ANJALI SATI	F	HEERABALLABH	BEENA DEVI	GEN	837.6	0	837.6	2024	BOTANY	ZOOLOGY	CHEMISTRY
9	640132075	SHIVANI BHANDARI	F	DEEPAK SINGH BHANDARI	HANSE DEVI	GEN	806.4	0	806.4	2024	BOTANY	ZOOLOGY	GEOLOGY
10	640141207	PRITI DHAPOLA	F	SHYAM SINGH DHAPOLA	HEMA DHAPOLA	GEN	806.4	0	806.4	2024	BOTANY	ZOOLOGY	CHEMISTRY

Admission committee

1.  05/06/2024
2. 
3.

Dr. Madhupika Pathak
Principal
Government Degree College
Kanda (Bageshwari)

B, Com. Ist sem. Department of Commerce
 GDC, KANDA, MERIT LIST - 2024-25

FORM NUM NAME OF THE APPLICANT	NAME OF FATHER	CATEGORY	MOBILE	EMAIL	MERIT IN
640118230 MANISH BHATT	SHEKHAR CHANDRA	GENERAL	8954752422	manishbhatt2422@gmail.com	950.4
640159858 PRIYANKA ARYA	BHAIRAV RAM	SC	6395862853	priyakaarya123@gmail.com	892.8
640122306 MUKESH KUMAR	SHANTI LAL	SC	7017843501	mukeshkumartamta8@gmail.com	796.8
640160428 MINAKSHI ARYA	NAVEEN RAM	SC	9068997247	aryameenakshi766@gmail.com	753.6
640161430 KARAN KANDPAL	DEEP CHANDRA KANDPAL	GENERAL	7302973241	karan02kandpal@gmail.com	624

Saeelin.
 03/06/2024
 Department of Commerce
 Govt. Degree College
 Kanda (Baghpat)

Utkl
 03/06/2024
 प्राचार्य
 राजकीय महाविद्यालय
 काण्डा (बागेश्वर)



राजकीय महाविद्यालय, काण्डा, बागेश्वर (उत्तराखण्ड) 263631
GOVERNMENT DEGREE COLLEGE
KANDA (BAGESHWAR) 263631
Email- gdckanda@rediffmail.com

प्रवेश सूचना

बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर (NEP) सत्र 2024–25 हेतु इस महाविद्यालय के समस्त प्रवेशर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 01/06/24 से प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक सभागार कक्ष में प्रवेश हेतु समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- 1— हाईस्कूल उत्तीर्ण (मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र) मूल एवं छायाप्रति
- 2—इण्टर उत्तीर्ण (मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र) मूल एवं छायाप्रति
- 3—टी0सी0 की मूल प्रति
- 4—चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति
- 5—माइग्रेशन की मूल प्रति
- 6—अधिमान अंक हेतु प्रमाण पत्र मूल एवं छायाप्रति
- 7— जाति प्रमाण पत्र मूल एवं छायाप्रति
- 8— आधार कार्ड मूल एवं छायाप्रति
- 9— गैप का नोटरी शपथ पत्र (नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर)
- 10— एंटी रैगिंग प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित प्रति
- 11—समर्थ में प्रवेश आवेदन का ऑफलाइन प्रिन्ट
- 12—EWS एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र
- 13—दिव्यांगता का प्रमाण पत्र
- 14—स्थाई निवास प्रमाण पत्र

समर्थ पोर्टल के माध्यम से स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु पंजीकरण की तिथि 14 जून तक विस्तारित की गई है। अतः जिन विद्यार्थियों ने पंजीकरण नहीं करया है, वे शीघ्रतिशीघ्र समर्थ पोर्टल के माध्यम से नियत तिथि तक पंजीकरण करना सुनिश्चित करें।

०१/०६/२०२४
प्राचाय

राजकीय माहाविद्यालय काण्डा
राजकीय महाविद्यालय
काण्डा (बागेश्वर)